न्यायालय, कलेक्टर, जिला–धार (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 202 / 15–16 / अ–19(3)

म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विकास विभाग,
द्वारा– आयुक्त आदिवासी विकास विभाग म.प्र. भोपाल ... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन .. अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 07/04/2017 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आयुक्त आदिवासी विकास म.प्र. भोपाल के ज्ञाप क्रमांक शिक्षा शाला / 2ख / 51 / 2016 / 14040–41 भोपाल दिनांक 29.06.2016 एवं परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्व्यन ईकाई भोपाल का ज्ञाप क्रमांक 49–6 / 2016 / टी.डब्ल्यू.डी / कार्य–2 / पीडी / 2012 दिनांक 30.06.2016 के संलग्न परिशिष्ट अ अनुसार कन्या शिक्षा परिसर संचालन हेतु ग्राम तिरला में भवन निर्माण के लिये लगभग 15 से 20 एकड भूमि की आवश्यकता होने से भूमि का चयन कर उपलब्ध / आवंटित किये जाने का लेख किया है।

2. प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर तहसीलदार धार को जॉच प्रतिवेदन के लिये भेजा गया। नायब तहसीलदार वृत– 2 तिरला द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर उक्त प्रयोजन हेतु ग्राम हिम्मतगढ़ स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 249 / 1 क्षेत्रफल 8.088 हैक्टेयर, पडत कदीम खसरा क्रमांक 250 क्षेत्रफल 3.693 हैक्टेयर पडत कदीम भूमि का स्वयं नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी के साथ मौका निरीक्षण कर आवेदित भूमि का चयन किया गया। मौका पंचनामा तैयार किया गया। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास धार द्वारा पत्र क्रमांक 2149 दिनांक 21.02.2017 द्वारा आवेदित शासकीय भूमि ग्राम हिम्मतगढ की भूमि खसरा क्रमांक 249 / 1 क्षेत्रफल 8.088 हैक्टेयर आवंटन किये जाने की मांग की गई। संभागीय परियोजना यंत्री परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, लो.नि.वि. धार द्वारा पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 370 दिनांक 25.02.2017 से उक्त चयनित भूमि खसरा क्रमांक 249 / 1 एवं खसरा क्रमांक 250 में से कन्या शिक्षा परिसर तिरला हेतु उपयुक्त होने से आवंटन किये जाने का अभिमत दिया है। ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ द्वारा प्रस्ताव–ठहराव दिनांक 26.01.2017 से खसरा क्रमांक 249 / 1 एवं खसरा क्रमांक 250 क्षेत्रफल 8.088 हैक्टेयर आवंटन किये जाने की अनुशंसा की है। मौके पर खसरा क्रमांक 249 / 1 एवं 250 सम्मिलित होकर निर्मित सडक छोडकर खसरा क्रमांक 249 / 1 में से क्षेत्रफल 4.535 हैक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 250 में से 3.553 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 8.088 हैक्टेयर आवंटन की अनुशंसा की है। विज्ञप्ति जारी कर आपत्तियॉ आमंत्रित की गई। समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुई। आवेदित भूमि किसी प्रयोजन के लिए आरक्षित नही है। आवेदित भूमि किसी अन्य विभाग के अधिपत्य में नही है। आवेदित भूमि खसरा क्रमांक 249 / 1 एवं खसरा क्रमांक 250 में से क्रमशः क्षेत्रफल 3.353 हैक्टेयर एवं क्षेत्रफल 4.535 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 8.088 हैक्टेयर पडत कदीम होने से नोईयत परिवर्तन करने की आवश्यकता नही है। उक्त भूमि आवंटन किये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक कठिनाई नही है। 7 व्यक्तियों का अतिक्रमण है। वह हटा दिया जावेगा। आवेदित भूमि का खसरा, नक्षा ट्रेस, नजरीय नक्षा की प्रति संलग्न है। नायब तहसीलदार के जाँच प्रतिवेदन आदेशिका दिनांक 23.03.2017 अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ग्रामीण धार द्वारा आदेशिका दिनांक 25.03.2017 से आवेदित भूमि हस्तांतरित करने की अनुशंसा की है।

कलेक्टर
जिला धार (म.प्र.)

3. अपर कलेक्टर (राजस्व) जिला धार द्वारा प्रकरण पत्रिका का परीक्षण कर परियोजना यंत्री परियोजना क्रियान्वयन इकाई धार द्वारा ज्ञाप दिनांक 25.02.2017, नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुशंसा पर ग्राम हिम्मतगढ़ (तिरला) की आवेदित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 249 / 1 एवं खसरा क्रमांक 250 में क्रमशः क्षेत्रफल

..2...

Scanned with OKEN Scanner

4.535 हैक्टेयर एवं क्षेत्रफल 3.353 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 8.088 हैक्टेयर राजस्व पुस्तक परिपत्र 4 (2) की कंडिका 5 के अंतर्गत म.प्र.शासन आदिम जाति कल्याण विभाग, आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल को शासकीय कन्या शिक्षा परिसर तिरला हेतु ग्राम हिम्मतगढ़ में आवंटित किये जाने की अनुशंसा की है।

4. अतः नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ग्रामीण की अनुशंसा एवं अपर कलेक्टर की परीक्षण आदेशिका एवं अभिलेख के आधार पर ग्राम हिम्मतगढ़ तहसील धार की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 249/1 पैकि क्षेत्रफल 4.535 हैक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 250 पैकि क्षेत्रफल 3.353 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 8.088 हैक्टेयर राजस्व पुस्तक परिपत्र 4 (2) की कंडिका 5 के अंतर्गत म.प्र.शासन आदिम जाति कल्याण विभाग, आयुक्त आदिवासी विकस विभाग म.प्र. भोपाल द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग धार को शासकीय कन्या शिक्षा परिसर तिरला हेतु नवीन भवन निर्माण एवं अनुषांगिक प्रयोजन हेतु हस्तांतरित की जाती है।

07/04/17
(श्रीमन्त शुक्ला)
कलेक्टर
कलेक्टर,
जिला–धार म.प्र.

पृ.क्र. 181 / रीडर–1 / 16 धार, दिनांक 07/04/17

प्रतिलिपि:–

1. आयुक्त आदिवासी विकास म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई भोपाल की ओर सूचनार्थ
3. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग धार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आवेदित शासकीय भूमि का अविलम्ब कब्जा प्राप्त करने हेतु अपने अधिनरथ सक्षम अधिकारी को प्राधिकृत कर तहसीलदार से भूमि का कब्जा प्राप्त कर, कब्जा रसीद सौपने हेतु निर्देशित करे।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ग्रामीण धार जिला धार की ओर सूचनार्थ।
5. संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई धार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार,तहसील, धार की ओर उपर्युक्त प्रकरण सहित भेजकर लेख है कि आदेशानुसार हस्तांतरित की जाने वाली भूमि का आधिपत्य सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग धार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष सीमांकन करवाया जाकर सौंपे एवं शासकीय अभिलेख कागजात खसरा, नक्शे में अमल–दरामद किया जाकर, खसरा पांच साला,नक्शा ट्रेस जिसमें हस्तांतरित की गई भूमि, लाल स्याही से पृथक से दर्शाई जावे एवं कब्जा रसीद सहित प्रकरण वापिस लौटावें ।

कलेक्टर
कलेक्टर
जिला धार म.प्र.

संलग्नः–प्रकरण क्रमांक 202 / 15–16 / अ–19(3)
अनु. 6 के लिये।

D:\REDER -1\s.nigam R-1\Order\vidhyalay\kanya Dhar - Copy.doc

Scanned with OKEN Scanner